कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला – खरगोन (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक–कार्यालय–(07280) 222154 ई मेल dfotbwaha@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 5342 बड़वाह, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा
मध्यप्रदेश

विषयः– खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्र./FP/MP/ROAD/152561/2022)

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2024

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक / एफ–5 / 1161 / 2022 / 10–11 / 3590 दिनांक 09.07.2024

3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 4537 दिनांक 18.07.2024

4. आपका पत्र क्रमांक / 3247 दिनांक 07.08.2024

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2024 के द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुक्रम में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण के लिए वनमण्डल बडवाह की 3.20 हे. आरक्षित वनभूमि उपयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 4537 दिनांक 18.07.2024 से राशि जमा करने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया था। **संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित है।**

भारत सरकार के संदर्भित पत्र कमाकं–1 शर्त कमाक (II) में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन कर मार्ग निर्माण के लिए उपयोग किये गये क्षेत्र 3.2 हेक्टेयर की नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि निम्नानुसार भारत सरकार पर्यावरण भवन नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06 जनवरी 2022 के द्वारा निर्धारित दर 957780 के अनुसार पांच गुना राशि रू. 1,53,24,480 (राशि रूपये एक करोड तिरेपन लाख चौबीस हजार चार सौ अस्सी मात्र) एवं मांग पत्र जारी करने की तारीख से जमा किये जाने तक 12% साधारण ब्याज देय होगा। निम्नानुसार केम्पा मद में ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करावें तथा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

क्र.	मद	रकबा हे. मे.	घनत्व	इको क्लास श्रेणी	एन.पी.व्ही. की दर	पांच गुना राशि रूपये में	रिमार्क
1	NPV	3.2	Open Forest	III	957780	15324480	केम्पा मद में ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करावें।
योग		**3.2**	–			**15324480**	–

भारत सरकार के संदर्भित पत्र कमाकं–1 शर्त कमाक (VIII) में उपयोग किये गये जाने वाले क्षेत्र 3.2 हेक्टेयर की नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि निम्नानुसार भारत सरकार पर्यावरण भवन नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06 जनवरी 2022 के द्वारा निर्धारित दर 957780 के अनुसार राशि रू. 30,64,896 (राशि रूपये तीस लाख चौसठ हजार आठ सौ छयानवे मात्र) निम्नानुसार केम्पा मद में ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करावें तथा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

क्र.	मद	रकबा हे. मे.	घनत्व	इको क्लास श्रेणी	एन.पी.व्ही. की दर	राशि रूपये में	रिमार्क
1	NPV	3.2	Open Forest	III	957780	3064896	केम्पा मद में ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करावें।
योग		3.2	–			3064896	–

भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्रमांक–1 शर्त कमाक (IX) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय संबंधी वचन पत्र भी प्रेषित करें।

भारत सरकार- के संदर्भित पत्र क्रमांक–1 शर्त कमाक (XVII) के पालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर खरगोन से निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर एफ.आर.ए. 2006 का पालन सुनिश्चित किया जावें एवं प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्रमांक–1 शर्त कमाक (XIX) के पालन में परियोजना के तहत सभी धनराशि भारत सरकार के ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in) के माध्यम से कैम्पा खाते में हस्तांतरित की जावेगी। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि प्रथम चरण स्वीकृति के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं की जावेगी।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्रमांक–1 शर्त कमाक (XX) के पालन में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा परियोजना में आवश्यक गैर वनभूमि प्राप्त करने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगीं।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्रमांक–1 शर्त कमाक (XXVII) के पालन में व्यपवर्तित वनभूमि को सीमांकित कर परियोजना लागत से जमीन से 4 फीट उंचे प्रबलित (erecting) आर.सी.सी. के पिलर्स बनाये जायें। जिन पर उसका क्रमांक पिलर्स से पिलर्स की दूरी और जी.पी.एस. निर्देशांक अंकित हो।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र कमाकं–1 शर्त कमाक (VII) के अनुसार उपयोग की जाने वाली वनभूमि 3.2 हेक्टेयर के बदले आपके पत्र कमांक/भा.रा.रा.प्रा./पकाई/खण्डवा/धन.–बोर/3247 दिनांक 07.08.2024 द्वारा लेख किया गया है कि आपके पत्र दिनांक 09.07.2024 के माध्यम से कलेक्टर खण्डवा से 3.2 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया। अतः गैर वनभूमि प्राप्त करने की कार्यवाही तत्काल पूर्ण किया जाकर इस कार्यालय को अवगत करावें। ताकि प्राप्त गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार की जाकर योजना की राशि का मांग पत्र जारी किया जा सकें।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2024 में अधिरोपित शेष शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।

(अनुराग तिवारी)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

पृष्ठां.क्रमांक/मा.चि./2024/5343
बडवाह, दिनांक 23/8/2024

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

विस्तृत प्रपत्र

खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्र./FP/MP/ROAD/152561/ 2022)

Demand Note

SN	Head	Division	Amount	Remark
1	Penalty for violation (5 times NPV amount)	Barwah	15324480	Campa
2	NPV	Barwah	3064896	Campa
	Total NPV		**18389376**	Campa

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह